राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना–पत्र संख्या–96 / 2016.......................... जिला ....जयपुर..

उनवान : मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा ट्रांसमिशन लिमिटेड, जयपुर

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी (अपील)-I, जयपुर 2.वाणि. कर अधि., बिजनिस ऑडिट, जोन–I, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
20 / 10 / 2016	अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 919 / 2016 / जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.05.2016 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय खण्डपीठ द्वारा प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 22.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के अन्तर्गत वसूल योग्य विवादित राशि की वसूली कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित करते हुए अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का गुणावगुण पर तीन माह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलीय अधिकारी द्वारा तीन माह की अवधि में निस्तारण नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र उक्त समयावधि बढ़ाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्देशों की पालना में प्रकरण में दिनांक 08.08.2016 को निर्णय पारित कर दिया गया है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2076 / 2016 / जयपुर प्रस्तुत की गयी है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष लम्बित अपील में दिनांक 08.08.2016 को आदेश पारित कर दिये जाने के फलस्वरूप हस्तगत प्रार्थना–पत्र निष्प्रभावी हो जाता है। अतः अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। 20/10/2016 20.10.2016 सदस्य सदस्य राजस्थान कर बोर्ड राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अजमेर	